उसका का 0.3R.7 CFC से अपील हेतु समय चाहते हैं अंतिम समय दिया जाकर बहसबली पास्त अवलब करने आवेदन पत्र के लिए 15.5.15 को पेश हो।

4.5.15 वकुलाय पक्षकारान उपस्थित, पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य होने से प्रकरण दि० 8/6/15 को पेश है।

15.5.15 पत्रावली भाज राजस्व लोक अदालत/उच्च कोर्ट मध्यस्थम हु. ओबरा हला पर पेश हुई वादीगण उपस्थित नहीं होने से उपस्थित प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से प्रकरण उच्च कोर्ट में लिया जाकर पत्रावली को अंबलो कर लिया गया। वादग्रस्त आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार है वादीगण द्वारा प्रति वादीगण के विरुद्ध विपक्षी का पक्ष पेश किया है वादगिण खातेदार है एवं प्रतिवादीगण द्वारा उसे कब्जे काश्त में हस्तांतरणी पेश की जाती है, जो उचित अंतरित नहीं बोलता है भला वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है एवं सीमा ओबरा हला की आराजी नम्बर 1952 रकबा 0.0150, 1961 रकबा 0.0450, 1988 रकबा 0.0600, 1966 रकबा 0.0100 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की हस्तांतरणी नहीं करने बराबर प्रति वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है पत्रावली निस्तारित किया जाता है इति।

निर्णय हस्ताक्षरित

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

आशालाल